पत्र सं0–5 / बजट (विविध) 6–04 / 2017 –सा0–1436 /

बिहार सरकार

सामान्य प्रशासन विभाग

ई–मेल / स्पीड पोस्ट

प्रेषक,

राम बिशुन राय,
सरकार के अवर सचिव।

स्मार सेवा में,

सभी प्रमंडलीय आयुक्त।
सभी जिला पदाधिकारी।
सचिव, लोकायुक्त कार्यालय, बिहार, पटना।
सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग, पटना।
सचिव कर्मचारी चयन आयोग, बिहार, पटना।
निदेशक, बिहार लोक प्रशिक्षण एवं ग्रामीण विकास संस्थान, पटना।
सचिव, बिहार तकनीकी कर्मचारी चयन आयोग, पटना।
सचिव, राज्य सूचना आयोग, बिहार, पटना।
सचिव, पिछड़ा वर्ग आयोग, पटना।
सचिव, अति पिछड़ा वर्ग आयोग, पटना।
सचिव, उच्च जातियों के विकास के लिए राज्य आयोग, पटना।
सचिव, राज्य महादलित आयोग, पटना।
सचिव, स्थानिक आयुक्त, बिहार, भवन,
चाणक्यपुरी, 5 कौटिल्य मार्ग नई दिल्ली–21.
सचिव, बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार, पटना।
अवर सचिव (लेखा), सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना।
प्रशासनिक पदाधिकारी, प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी, पटना।

पटना–15, दिनांक– 30-1- 2018

विषय :– बैंक खातों में संचित राशि की समीक्षा कर प्रतिवेदित करने एवं बैंक खातों में संचित तथा अव्यवहृत राशि को राज्य की समेकित निधि में जमा करने के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में वित्त विभाग के पत्र संख्या 1144 दिनांक 20.10.2017 एवं विभागीय पत्रांक 15111 दिनांक 28.11.2017 तथा पत्रांक 9630 दिनांक 12.12.2017 एवं विभागीय पत्रांक 16594 दिनांक 28.12.2017 का स्मरण किया जाय। उक्त पत्रों के द्वारा बैंक में संचित राशि, जिसके व्यय की संभावना 31.03.2018 तक नहीं है, को दिनांक 31.12.2017 तक समेकित निधि में जमा करने का निदेश दिया गया है। उक्त के संबंध में वित्त विभाग को प्रतिवेदन प्राप्त नहीं होने की स्थिति में वित्त विभाग से पुनः पत्र प्राप्त हुआ है। स्मार पत्र की प्रति संलग्न करते हुए अनुरोध है कि वांछित कार्रवाई शीघ्र करने की कृपा की जाय साथ ही यह भी उल्लेख करना है कि सामान्य प्रशासन

कृ0पृ0उ0

विभाग से संबंधित राशि की विवरणी ही सामान्य प्रशासन विभाग को उपलब्ध कराई जाय।

अनु0:– यथा उपर्युक्त।

विश्वासभाजन

सरकार के अवर सचिव

सुजाता चतुर्वेदी, भा.प्र.से.
प्रधान सचिव
वित्त विभाग
बिहार, पटना

बिहार सरकार

कार्यालयः
पुराना सचिवालय, पटना- 800015
दूरभाष : 91-612-2215805 (कार्या.)
फैक्स : 91-612-2217694
ई-मेल : finsecy-bih@nic.in

अ०स० पत्र सं०-4-09/2017 ....349..../वि०, दिनांक 16.01.2018

657(i)
17 JAN 18

....

विषय :- बैंक खातों में संचित एवं अव्यवहृत राशि को अविलम्ब राज्य की समेकित निधि में जमा करने के संबंध में ।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक कृपया मुख्य सचिव, बिहार के पत्रांक-8978/वि०, दिनांक 17.11.2017 का निदेश करें, जिसके द्वारा सभी विभागों/प्रमंडलों/जिलों द्वारा संधारित बैंक खातों की समीक्षा विभाग के स्तर पर करते हुए, जिन बैंक खातों का संधारण आवश्यक नहीं है, उन्हें बंद कर उनमें संचित राशि जिसके व्यय की संभावना दिनांक 31.03.2018 तक नही है, को राज्य की समेकित निधि में दिनांक 31.12.2017 तक जमा कराये जाने का निदेश दिया गया है । पुनः वित्त विभागीय पत्र संख्या-1144/वि०, दिनांक 20.11.2017-सह-पठित शुद्धि पत्र ज्ञापांक-1152/वि०, दिनांक 22.11.2017 के द्वारा बैंक खातों में संचित एवं अव्यवहृत राशि को राज्य की समेकित निधि में जमा करते हुए विभिन्न शीर्षो से संबंधित सूचना आपको उपलब्ध करा दी गई है ।

उपरोक्त निदेश के अनुपालन की समीक्षा के क्रम में पाया गया है, कि आपके विभाग एवं क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा बैंक खाते में संचित राशि के विरुद्ध समेकित निधि में जमा करायी गयी राशि, जो निम्नांकित है, अत्यंत नगण्य है :-

बैंक खातों में संचित राशि (रु० करोड़ में)	दिनांक 15.01.2018 तक समेकित निधि में जमा कराई गई राशि (रु० करोड़ में)
490.37	0.78

मामले की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए विभाग के विभिन्न बैंक खाते में संचित अव्यवहृत राशि, जिसका व्यय दिनांक 31.03.2018 तक संभव नही है, को अचूक रुप से राज्य की समेकित निधि में जमा कराते हुए तत्संबंधी प्रतिवेदन वित्त विभाग को अविलंब उपलब्ध कराया जाय ।

निर्धारित तिथि तक उक्त राशि राज्य की समेकित निधि में जमा नहीं कराये जाने की स्थिति में जिलों/प्रमंडलों/विभागों के संबंधित कार्यालयों द्वारा कोषागार से संचालित वित्तीय संव्यवहार बंद कर दिया जायेगा ।

कृपया इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाय ।

15.1.18
(सुजाता चतुर्वेदी)

136/2II-05
25.01.18

सेवा में,
श्री आमिर सुबहानी,
प्रधान सचिव,
सामान्य प्रशासन विभाग ।